रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 1972/चैत्र 31, 1894

No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 1972/CHAITRA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 20th April 1972

S.O. 304(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1401, dated the 5th May, 1966, read with the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade Order No. S.O. 1755, dated the 27th April, 1971, the management of the whole of the industrial undertaking known as Sri Bharathi Mills Limited, Pondicherry, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and including the 4th May, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller, should continue for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 4th May, 1973.

[No. F. 11021/34/72-TEX(G).]

K. KISHORE, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1972

का० आ० 304(अ).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1755, दिनांक 27 अप्रैल, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1401, दिनांक 5 मई, 1966 द्वारा श्री भारती मिल्स लि०, पांडिचेरी नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उपरोक्त अंतिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 4 मई, 1972 तक के लिये जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध एक वर्ष की आगामी अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहना चाहिए ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेशक देती है कि उपरिवर्णित अंतिम आदेश का प्रभाव 4 मई, 1973 तक की आगामी अवधि के लिये और बना रहेगा ।

[सं० फा० 11021/34/72-टैक्स (जी)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972